संख्या- /2017/ /पांच-6-2017-38(बजट)/12

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डल मुख्यालय, गोण्डा स्थित चिकित्सालय को उच्चीकृत कर 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय, गोण्डा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए चालू अंश के अन्तर्गत रू0-225.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-678/17फ/नि0नि0अ0/2017-18, दिनांक 19.06.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-824/पॉच-6-2013-38(बजट)/12 दिनांक 26.04.2013 के द्वारा मण्डल मुख्यालय, गोण्डा स्थित चिकित्सालय को उच्चीकृत कर 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय, गोण्डा के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-2705.70 लाख की मूल लागत स्वीकृत करते हुए उक्त निर्माण कार्य के लिये अब तक कुल रू0-2115.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश दिनांक 31.03.2017 द्वारा रू0 225.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, लेकिन बिल कोषागार से पारित न होने के कारण उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नही की जा सकी।

2- अतएव उक्त धनराशि को पुन: अवमुक्त करने हेतु मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा के अनाहरण प्रमाण पत्र के दृष्टिगत आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डल मुख्यालय, गोण्डा स्थित चिकित्सालय को उच्चीकृत कर 300 शैयया युक्त संयुक्त चिकित्सालय, गोण्डा के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू0-225.00 लाख (रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा शासनादेश संख्या-824/पॉच-6-2013-38(बजट)/12 दिनांक 26.04.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका व्यय/उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(6) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये ।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-06-मण्डल मुख्यालय पर 300 शैयया संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 112 /2017/ 1264 (1)/पांच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजना/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा ।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा ।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोण्डा ।
10. संबंधित प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
11. संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, गोण्डा ।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
13. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
14. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
15. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।